भारत सरकार , रेल मंत्रालय

रेलवे भर्ती बोर्ड

केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) संख्या 09/2025

(सातवें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स के लेवल- 1 में विभिन्न पदों पर भर्ती)

शुद्धिपत्र संख्या 5

- रेलवे भर्ती बोर्ड ने दिनांक 31.01.2026 को 7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स के लेवल 1 में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए सीईएन संख्या 09/2025 जारी किया है।
- इसके बाद, सीईएन संख्या 09/2025 के तहत संशोधन करते हुए 07.02.2026 को शुद्धि-पत्र नंबर 1, 16.02.2026 को शुद्धि-पत्र नंबर 2, 19.02.2026 को शुद्धि-पत्र नंबर 3 और 02.03.2026 को शुद्धि-पत्र नंबर 04 जारी किए गए।
- नीचे दिए गए संशोधनों के संबंध में इसके द्वारा एक शुद्धि-पत्र जारी किया जा रहा है।

क्र.सं.	पहले इस रूप में अधिसूचित	इस रूप में पढ़ा जाए
01.	**सीईएन 09/2025 के पेज नंबर 23 पर, पैरा नंबर 11.7.2 :** मानक दिव्यांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में, स्क्राइब की सुविधा की अनुमति किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक अक्षमता है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। अभ्यर्थी अनुलग्नक V(जी) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक V(डी) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।	**पैरा नंबर 11.7.2 :** मानक दिव्यांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में, स्क्राइब की सुविधा की अनुमति किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक अक्षमता है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। अभ्यर्थी अनुलग्नक V (एफ) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक V (सी) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
02.	**सीईएन 09/2025 के पेज नंबर 23 पर, पैरा 11.7.3 :** दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबी) जिनकी विकलांगता 40% से कम है और जो (आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते) और जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, वे भी परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक वी(ई) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अनुलग्नक वी(एफ) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए लेखक की सहायता ले सकते हैं।	**पैरा 11.7.3 :** दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबी) जिनकी विकलांगता 40% से कम है और जो (आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते) और जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, वे भी परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक वी (डी) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अनुलग्नक वी (ई) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए लेखक की सहायता ले सकते हैं।

3	**सीईएन 09/2025 के पेज नंबर 33-34 पर, पैरा नंबर 16.6 स्क्राइब की सहायता:** • **स्क्राइब सहायता के लिए पात्रता -** • दृष्टिहीनता, चलने-फिरने में अक्षमता (दोनों भुजाओं में अक्षमता - बीए) और मस्तिष्क पक्षाघात जैसी श्रेणियों में निर्धारित दिव्यांगता वाले उम्मीदवार, यदि चाहें तो, लेखक की सहायता के पात्र हैं। (कृपया पैराग्राफ 11.7.1 देखें) • अन्य श्रेणी की दिव्यांगताओं के लिए, लेखक की सुविधा केवल सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि उम्मीदवार को लिखने में शारीरिक अक्षमता है और उनकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए लेखक का होना आवश्यक है। (कृपया अनुच्छेद 11.7.2 देखें) ▪ प्रमाण पत्र अनुलग्नक V(G) में दिए गए प्रारूप में होना चाहिए। ▪ अनुलग्नक V(D) के अनुसार परीक्षा केंद्र पर वचन पत्र भी जमा करना होगा। • 40% से कम दिव्यांगता वाले उम्मीदवार (जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) के अंतर्गत आते हैं, लेकिन धारा 2(आर) के अंतर्गत नहीं) और जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, वे भी निम्नलिखित शर्तों पर लेखक की सहायता ले सकते हैं: (कृपया पैरा 11.7.3 देखें) • अनुलग्नक V(E) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, और • अनुलग्नक V(F) के अनुसार परीक्षा केंद्र पर वचन पत्र प्रस्तुत करना।	**सीईएन 09/2025 के पेज नंबर 33-34 पर, पैरा नंबर 16.6 स्क्राइब की सहायता:** • **स्क्राइब सहायता के लिए पात्रता -** • दृष्टिहीनता, चलने-फिरने में अक्षमता (दोनों भुजाओं में अक्षमता - बीए) और मस्तिष्क पक्षाघात जैसी श्रेणियों में निर्धारित दिव्यांगता वाले उम्मीदवार, यदि चाहें तो, लेखक की सहायता के पात्र हैं। (कृपया पैराग्राफ 11.7.1 देखें) • अन्य श्रेणी की दिव्यांगताओं के लिए, लेखक की सुविधा केवल सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि उम्मीदवार को लिखने में शारीरिक अक्षमता है और उनकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए लेखक का होना आवश्यक है। (कृपया अनुच्छेद 11.7.2 देखें) ▪ प्रमाण पत्र अनुलग्नक V(F) में दिए गए प्रारूप में होना चाहिए। ▪ अनुलग्नक V(C) के अनुसार परीक्षा केंद्र पर वचन पत्र भी जमा करना होगा। • 40% से कम दिव्यांगता वाले उम्मीदवार (जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) के अंतर्गत आते हैं, लेकिन धारा 2(आर) के अंतर्गत नहीं) और जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, वे भी निम्नलिखित शर्तों पर लेखक की सहायता ले सकते हैं: (कृपया पैरा 11.7.3 देखें) • अनुलग्नक V(D) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, और • अनुलग्नक V(E) के अनुसार परीक्षा केंद्र पर वचन पत्र प्रस्तुत करना।

:

	• एक आंख वाले उम्मीदवार और वे उम्मीदवार जिनकी दृष्टिहीनता **40%** से कम है, उन्हें दृष्टिबाधित नहीं माना जाता है। • पात्र दिव्यांग उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में लेखक की सुविधा का विकल्प चुनना होगा। • लेखक के लिए पात्र उम्मीदवारों को स्क्राइब का व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करना होगी। ii. स्क्राइब की सुविधा का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्देश : • दिव्यांगजनित उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब की सुविधा का विकल्प चुनना होगा। • लेखक की व्यवस्था उम्मीदवार को स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी। • यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनका लेखक rrbapply.gov.in पर पंजीकृत हो। (कृपया पैरा 11.7.8 देखें)। • संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद दी गई **पांच-दिवसीय अवधि** के दौरान आवेदन पोर्टल पर लॉग इन करना अनिवार्य है, ताकि लेखक का विवरण और लेखक का एक बार का पंजीकरण (OTR) नंबर दर्ज किया जा सके। लेखक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को लेखक की नियुक्ति की पुष्टि करने के लिए यह ओटीपी दर्ज करना होगा। **नोट** : किसी भी व्यक्ति को लेखक के रूप में नियुक्त करने से पहले, कृपया लेखक के लिए लागू शर्तों/योग्यताओं को समझने के लिए CEN के अनुच्छेद 11.7.9 को पढ़ें।	• एक आंख वाले उम्मीदवार और वे उम्मीदवार जिनकी दृष्टिहीनता **40%** से कम है, उन्हें दृष्टिबाधित नहीं माना जाता है। • पात्र दिव्यांग उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में लेखक की सुविधा का विकल्प चुनना होगा। • लेखक के लिए पात्र उम्मीदवारों को स्क्राइब का व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करना होगी। ii. स्क्राइब की सुविधा का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्देश: • दिव्यांगजनित उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब की सुविधा का विकल्प चुनना होगा। • लेखक की व्यवस्था उम्मीदवार को स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी। • यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनका लेखक rrbapply.gov.in पर पंजीकृत हो। (कृपया पैरा 11.7.8 देखें)। • संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद दी गई **पांच-दिवसीय अवधि** के दौरान आवेदन पोर्टल पर लॉग इन करना अनिवार्य है, ताकि लेखक का विवरण और लेखक का एक बार का पंजीकरण (OTR) नंबर दर्ज किया जा सके। लेखक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को लेखक की नियुक्ति की पुष्टि करने के लिए यह ओटीपी दर्ज करना होगा। **नोट** : किसी भी व्यक्ति को लेखक के रूप में नियुक्त करने से पहले, कृपया लेखक के लिए लागू शर्तों/योग्यताओं को समझने के लिए CEN के अनुच्छेद 11.7.9 को पढ़ें।
4	सीईएन 09/2025 के पेज नंबर 50 पर अनुलग्नक - V (C)	संशोधित अनुलग्नक-V (C) नीचे संलग्न है।

- सीईएन सं.09/2025 की बाकी सभी शर्तें और नियम वैसे ही रहेंगे।

नोट: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों को नियमित रूप से देखते रहें।

अध्यक्ष

दिनांक : 30.07.2026 **रेलवे भर्ती बोर्ड**

उन दलालों से सावधान रहें जो गलत तरीके से नौकरी दिलाने के झूठे वादे करके उम्मीदवारों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आरआरबी में चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) के आधार पर होता है और भर्ती सिर्फ उम्मीदवारों की मेरिट के आधार पर होती है।

LETTER OF UNDERTAKING FOR USING SCRIBE

NOTE: 1.In case of persons with benchmark disabilities in the category of Blindness, Locomotor Disability (Both Arm affected – BA) and Cerebral Palsy, the facility of scribe shall be given, if so desired by the person. The candidate can avail the assistance of scribe after submission of letter of undertaking as per Annexure V(C) at the examination centre.

2. In case of other category of persons with benchmark disabilities, the provision of scribe can be allowed on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write and scribe is essential to write examination on his behalf, from the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health Care institution. The candidate can avail the assistance of scribe after producing the certificate as per Annexure V(F) and submission of letter of undertaking as per Annexure V(C) at the examination centre.

3.The PwBD persons having less than 40% disability (covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act) and having difficulty in writing can also avail the assistance of scribe for writing answers on their behalf after producing the certificate as per Annexure V(D) and submission of letter of undertaking as per Annexure V(E) at the examination centre.

PARTICULARS OF SCRIBE PROPOSED TO BE ENGAGED BY THE CANDIDATE

1. Name of the Candidate.....
2. Roll No.....
3. Name of CBT Center.....
4. Qualification of Candidate.....
5. Disability Type.....
6. Name of Scribe .....

6(a) My scribe One time Registration Number (OTR) with RRBs is:

7. Date of Birth of the Scribe.....
8. Father's Name of the Scribe.....
9. Address of the Scribe:
   (a) Permanent Address.....
   (b) Present Address.....
10. Educational Qualification of the Scribe.....
11. Relationship if any, of the Scribe to the Candidate.....

Paste here recent colour Passport Size Photograph of the SCRIBE of size 3.5 cm x 4.5 cm (The colour photograph should not be more than TWO months old)

12. DECLARATION:

i) We hereby declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of our knowledge and belief. We have read/been read out the instructions of the Railway Recruitment Board regarding conduct of the candidates assisted by Scribe/Scribes at this examination and here by undertake to abide by them.

ii) We declare that the Scribe himself/herself is not a candidate in this examination. We understand that in case it is found otherwise the candidature of both of us will be rejected.

iii) We declare that the scribe has not acted /will not act as Scribe to any other candidate of this examination.

iv) We declare that educational qualification of scribe is one step below the educational qualification of the Candidate taking examination. In case subsequently it is found that the qualification of the scribe is not as declared by the scribe, and it is beyond the qualification of the candidate taking examination, the candidate shall forfeit to the post and claims relating thereto.

(Signature of the Candidate)

Left thumb impression of the candidate in the box given above

(Signature of the Scribe)

Left thumb impression of the Scribe in the box given above

Signature of the Invigilator